न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 40/2019 (अपील)

1. भंवरलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति कोली
2. गुलाब बाई पतिन भंवरलाल जाति कोली निवासीगण गणेश चौक खेडली फाटक कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

1. कैलाश आत्मज भंवरलाल जाति कोली
2. माया पत्नि कैलाश कोली
3. दीपक पुत्र कैलाश जाति कोली
4. विनीता पत्नि दीपक जाति कोली

निवासीगण गणेश चौक के पास खेडली फाटक कोटा राज0

––––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08.02.2019 उपखण्ड अधिकारी कोटा, अर्न्तगत धारा 16 माता पिता और वृद्व नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांकः– 11 /12/2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा दिनांक 08.02.2019 को आदेश पारित किया कि–"दौनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ही पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धित विवाद का होना जाहिर होता है क्योंकि श्री भंवरलाल का विवाद अपनी एक सन्तान तथा पौते अर्थात श्री कैलाश एवं श्री दीपक से होना प्रतीत होता है । अतः श्री भंवरलाल, श्रीमति गुलाब बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 10.04.2019 को पेश कर कथन किया है कि अपीलांट की स्वअर्जित आय से एक मकान निर्मित किया, जिसमें तीन कमरे (पीचे) व दौ कमरे (उपर छत पर) है, जिसमें एक कमरे में अपीलांट्स स्वयं निवास करते है तथा एक कमरे में रेस्पोडेंट कम 3 व 4 अपने बच्चे के साथ निवास करते है तथा एक कमरा अपीलांट्स द्वारा अपने पुत्र योगेन्द्र को दिया गया था जिसमें उसने कुछ समय तो निवास किया तथा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

वर्तमान में उस कमरे में केवल मात्र उसका सामान ही पड़ा हुआ है तथा दूसरे मकान में अपने परिवारजन सहित निवास करता चला आ रहा है । कैलाश व दीपक व उसकी मां माया अपीलांट्स को किसी तरह का कोई खाना पीना नहीं देते है और ना ही इलाज करवाते है, ना ही सेवा सुशृषा की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट अपीलांटस से निरन्तर गाली गलोच, मारपीट करते है तथा चप्पल व झाड़ू से भी मारपीट करते है तथा कई बार अपीलांटस से इनकी बहू माया पत्नि कैलाश के द्वारा चप्पलों से मारपीट अपीलांट से की गयी थी व जानबूझकर उनको कमरे से बाहर निकालकर बंद कर देते है तथा कमरे में अन्दर बन्द कर देते थे । अपीलांट के पांच बच्चे बच्ची है जिसमें से कैलाश ही सबसे बडा पुत्र है तथा बाकी उसकी पुत्रीयां कांती बाई, गीता बाई व उससे छोटी कमला बाई है तथा सबसे छोटा पुत्र योगेन्द्र है जिसमें से कैलाश रेस्पो0 कम–1 के अलावा चारों बच्चे, बच्ची अपीलांट्स की समय समय पर सेवा ,सुशृषा करते रहते है तथा हारी बिमारी में ईलाज व दवाईयां आदि उपलब्ध करवाते रहते है । अपीलांटस के द्वारा कैलाश व उसके पुत्र व उसकी पत्नि के विरूद्व तीन बार थाना भीमगंजमण्डी कोटा में रिपोर्ट दर्ज भी करवायी थी, जिसमें उसको पाबंद करके रिहा कर दिया इसके बाद भी पुनः अधीनस्थ अदालत के आदेश दिनांक 8.2.2019 से पूर्व रेस्पो0 3 व 4 के द्वारा अपीलांट्स से मारपीट की गयी थी तथा अपीलांट नं0 2 के पैर में फ्रेक्चर था, जिसके चौट लगने के कारण चलना फिरना पूर्णरूप से बंद हो गया था जिसकी कार्यवाही में भी न्यायालय द्वारा उसको 6 माह के लिए पाबंद किया गया । अपीलांटस के पास निवासरत मकान ही स्वअर्जित आय है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरन्तर आदेश में रेस्पोडेंट नं0 3 का विवाह अपीलांट्स द्वारा करना बताया गया है किंतु परिवारजन किसी भी परिवार के पुत्र के लिये विवाह का खर्चा कर सकता है तथा उसको बाल्यावस्था में उसके माता पिता रेस्पो 1 व 2 अपने पिता अपीलांट के पास स्वेच्छा से छोडकर गये थे तथा किसी भी प्रकार का कोई गोदनामा इनके मध्य कभी आलेखित नहीं किया गया है । भविष्य में कभी भी अपीलांटस के विरूद्व रेस्पोंडेंटस द्वारा जान माल की हानि का पूर्णरूप से अंदेशा है तथा वर्तमान समय भी आज दिन तक अपीलांटस के साथ इनके द्वारा मारपीट, गाली गलोच की जाती रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेंट्गण से मकान को खाली करवाये जाने का आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेंट 3 व 4 उपस्थित, रेस्पोडेंट 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित । अपीलांट, वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 के वकील उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की स्वअर्जित आय से एक मकान निर्मित किया जिसमें तीन कमरे (पीचे) व दो कमरे (उपर छत पर) है, जिसमें

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

एक कमरे में अपीलांट्स स्वयं निवास करते है तथा एक कमरे रेस्पोडेंट कम 3 व 4 में अपने बच्चे के साथ निवास करते है तथा एक कमरा अपीलांट्स द्वारा अपने पुत्र योगेन्द्र को दिया गया था जिसमें उसने कुछ समय तो निवास किया तथा वर्तमान में उस कमरे में केवल मात्र उसका सामान ही पड़ा हुआ है तथा दूसरे मकान में अपने परिवारजन सहित निवास करता चला आ रहा है । कैलाश व दीपक व उसकी मां माया अपीलांट्स को किसी तरह का कोई खाना पीना नहीं देते है और ना ही इलाज करवाते है । ना ही सेवा सुश्रुषा की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट अपीलांटस से निरन्तर गाली गलोच, मारपीट करते है तथा चप्पल व झाड़ू से भी मारपीट करते है तथा कई बार अपीलांट्स से इनकी बहू माया पत्नि कैलाश के द्वारा चप्पलों से मारपीट अपीलांट से की गयी थी व जानबूझकर उनको कमरे से बाहर निकालकर बंद कर देते है तथा कमरे में अन्दर बन्द कर देते थे । अपीलांट के पांच बच्चे बच्ची है जिसमें से कैलाश ही सबसे बडा पुत्र है तथा बाकी उसकी पुत्रीयां कांती बाई, गीता बाई व उससे छोटी कमला बाई है तथा सबसे छोटा पुत्र योगेन्द्र है जिसमें से कैलाश रेस्पो0 कम–1 के अलावा चारों बच्चे , बच्ची अपीलांटस की समय समय पर सेवा ,सुशृषा करते रहते है तथा हारी बिमारी में ईलाज व दवाईयां आदि उपलब्ध करवाते रहते है । अपीलांटस के पास निवासरत मकान ही स्वअर्जित आय है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरन्तर आदेश में रेस्पोडेंट नं0 3 का विवाह अपीलांट्स द्वारा करना बताया गया है किंतु परिवारजन किसी भी परिवार के पुत्र के लिये विवाह का खर्चा कर सकता है तथा उसको बाल्यावस्था में उसके माता पिता रेस्पो 1 व 2 अपने पिता अपीलांट के पास स्वेच्छा से छोडकर गये थे तथा किसी भी प्रकार का कोई गोदनामा इनके मध्य कभी आलेखित नहीं किया गया है । भविष्य में कभी भी अपीलांटस के विरूद्व रेस्पोंडेंटस द्वारा जान माल की हानि का पूर्णरूप से अंदेशा है तथा वर्तमान समय भी आज दिन तक अपीलांटस के साथ इनकी मारपीट, गाली गलोच की जाती रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेंट्गण से मकान को खाली करवाये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स का पारिवारिक मामला होने से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो सही है, अपीलांट अपनी पुत्रियों व अन्य के बहकावें में आकर रेस्पोडेंटगण को बेदखल करना चाहता है । अपीलांट द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भरण पोषण की मांग नहीं कर केवल मात्र मकान खाली कराने की प्रार्थना की गई है जो इस अधिनियम के तहत नहीं है । तथा दीपक पुत्र कैलाश को अपीलांट द्वारा बचपन से ही गोद लिया हुआ है जिसका उसके माता से भी संबंध तुडवा रखा है । अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट 3 का विवाह भी इसी शर्त पर किया गया था कि विवाह में अप्रार्थी कम–3 के प्राकृतिक माता पिता रेस्पोडेंट 1 व 2 नहीं आयेंगे तथा अपीलांट की इच्छानुसार ही

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट क्रम–3 के विवाह में उसके माता को नहीं बुलाया गया । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 8.2.2019 के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत दिनांक 10.4.2019 को पेश की गई है । लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पोडेंट की ओर से कोई जवाब अथवा खण्डन पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. अपीलांट एवं रेस्पोडेंट को सुना गया, एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट नं0 3 दीपक अपीलांट अर्थात अपने दादा के पास ही बचपन से ही रहता आया है, रेस्पो0 नं0 3 का कहना है कि अपीलांट ने उसे गोद लिया हुआ है, किन्तु अपीलांट का कहना है कि दीपक व उसकी पत्नि अपीलांट की स्वअर्जित मकान में ही निवास करते है तथा अपीलांटान के साथ लडाई झगडा व मारपीट करते है तथा कई बार घर से भी निकाल देते है, अमानवीय व्यवहार करते है । सभी पक्षों को सुनने व पत्रावली के अध्ययन से यह जाहिर आया है कि मामला पारिवारिक लडाई झगडे का है किन्तु अपीलांट एक सीनियर सिटीजन है तथा अपीलांट द्वारा यह अपील वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोडेंटगण को अपने मकान से बेदखली के आदेश चाहे गये है, भरण पोषण उनके अन्य पुत्र द्वारा किया जाने से भरण पोषण की मांग नहीं की गई है । विवादित मकान का निमार्ण अपीलांट स्वयं द्वारा कराया है, वकील रेस्पोडेंट का मुख्य कथन है कि रेस्पो0 नं0 3 बचपन से ही अपने माता पिता से अलग अपीलांट के पास गोद पोत्र की हैसियत से रह रहा है, किन्तु वकील रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई गोदनामें का दस्तावेज आदि सबूत पेश नहीं किये है । रेस्पोडेंट नं0 3 व 4 बालिग है तथा कमाने खाने में सक्षम है, विवादित मकान अपीलांट की स्वअर्जित सम्पत्ति है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट रेस्पोडेंट को अपने मकान से बेदखल करने के लिए स्वतंत्र है ।

8. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 4 को अपीलांट के खेड़ली फाटक स्थित अपने मकान से बेदखली के आदेश दिये जाते है । उपखण्ड अधिकारी कोटा निर्णय की पालना करावें । तलविदा रेकार्ड निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner